

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-779 / 2012

संस्थित दिनांक-26.09.2012

फाईलिंग क्र.234503001882012

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन// विरुद्ध //

1. भगलू पिता सनकू धुर्वे जाति बैगा
 उम्र 45 वर्ष साकिन बड़ाबाकल
 थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2. जियालाल पिता चैतराम धुर्वे जाति बैगा
 उम्र 40 वर्ष साकिन बड़ाबाकल (बैगाटोला)
 थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियुक्तगण// निर्णय //

(आज दिनांक-13.12.2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक-12/5/2012 को दिन के 3:00 बजे ग्राम बड़ा बाहकल थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी महारा को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर सह अभियुक्त के साथ मिलकर उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में फरियादी को कुल्हाड़ी के डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर, संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी महारा मरार ने पुलिस थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट लेख कराई थी कि दिनांक-12/05/2012 को शनिवार के दिन के तीन बजे उसका पड़ोसी अभियुक्त भगलू एवं जियालाल बैगा दोनो एक राय होकर फरियादी को गंदी गंदी गालियां देकर अभियुक्त भगलू ने फरियादी की कालर पकड़कर एवं अभियुक्त जियालाल ने कुल्हाड़ी से फरियादी को मारा था जिससे फरियादी को हाथ में चोट लगी थी। फरियादी के गिरने से फरियादी को घुटने में चोट लगी थी। घटना को मंगलीबाई एवं विनिता उर्फ महेश्वरी पंचेश्वर ने देखी व सुनी थी। अभियुक्तगण जाते समय फरियादी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस थाना मलाजखण्ड ने फरियादी की मेडिकल

परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से थाने में अपराध क्रमांक-64/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

03. अभियुक्तगण पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा-01 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

04. अभियुक्तगण का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण का कहना है कि वह निर्दोष है, प्रकरण में उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक-12/5/2012 को दिन के 03:00 बजे ग्राम बड़ा बाहकल थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादी महारा को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था ?
2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में फरियादी को कुल्हाड़ी के डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को भयभीत करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

06. साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. विनिता उर्फ महेश्वरी अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्तगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से एक वर्ष पूर्व की है। घटना की उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि वह वर्ष 2012 में बाकल के बैगाटोला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता(शिक्षिका) के पद पर पदस्थ थी। साक्षी ने सुझाव में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-1 का कथन पुलिस को दिया था।

08. मंगलीबाई अ.सा.2 का कहना है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने प्रदर्श पी-2 का पुलिस कथन देने से इंकार किया है।

09. रामकिशोर रहांगडाले प्रधान आरक्षक अ.सा.3 का कहना है कि उन्हें अपराध क्र. 64/12 की केस डायरी अनुसंधान के लिए प्राप्त हुई थी। उन्होंने फरियादी महारा मरार की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-3 बनाया था एवं फरियादी के कथन लेखबद्ध किये थे। दिनांक-14.05.12 को मंगलीबाई, विनिता उर्फ महेश्वरी के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। अभियुक्त जियालाल से एक कुल्हाड़ी प्रदर्श पी-4 के जप्तीपंचनामे द्वारा जप्त की थी एवं अभियुक्तगण को प्रदर्श पी-5, 6 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। इस साक्षी ने उसके अनुसंधान के अनुरूप साक्ष्य दी है।

10. प्रश्नाधीन प्रकरण के फरियादी महारा मरार की मृत्यु हो गई है। इस कारण प्रकरण में उसकी साक्ष्य नहीं हुई है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण विनिता उर्फ महेश्वरी अ.सा.1, मंगलीबाई अ.सा.2 ने उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण की घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के पक्षविरोधी होने के कारण एवं फरियादी की मृत्यु होने के कारण प्रकरण के चिकित्सक एल.एन.सी. उइके एवं प्रथम सूचना पत्र के लेखक एस.डी. डोंगरे की अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य नहीं कराई है। प्रकरण में फरियादी की साक्ष्य नहीं हुई है एवं प्रकरण में हुई साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण की घटना प्रमाणित करने में असफल रहा है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी महारा को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर सह अभियुक्त के साथ मिलकर उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में फरियादी को कुल्हाड़ी के डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 भाग-2 के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावें।

12. अभियुक्तगण का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

13. प्रकरण में जप्तशुदा एक कुल्हाड़ी मय डंडा के मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय

न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही / -
(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही / -
(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)